Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 22, 2017 (SRAVANA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अगस्त, 2017

संख्या 74/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में, मद (iii) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(iii) कार्य संविदा की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित है, और जो सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, परिनिर्माण, चालू करने, स्थापना, पूरा करने, साज समान से लैस करने, मरम्मत करने, देखरेख करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,– (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम 24) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल या राष्ट्रीय महत्व के अवशेष, पुरातत्वीय उत्खनन या पुरावस्तु; (ख) नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्य; (ग) पाइप लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (i) जल आपूर्ति (ii) जल शोधन, या (iii) सीवरेज शोधन या निपटान के लिए हों।	6	–

(iv)	कार्य संविदा के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित है और निम्नलिखित के निर्माण, परिनिर्माण, चालू करने, स्थापना, पूरा करने, साज समान से लैस करने, मरम्मत करने, देखरेख करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो, (क) सडक, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता द्वारा सड़क परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो; (ख) सिविल निर्माण कार्य या कोई अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना के अधीन किसी स्कीम से संबंधित हो; (ग) सिविल निर्माण कार्य या कोई अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना, के अधीन ''निजी भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान भूमि का संसाधन के रुप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास'' से संबंधित हो, केवल वर्तमान स्लम वासियों के लिए; (घ) सिविल निर्माण कार्य या कोई अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए (शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना के अधीन ''लाभान्भोगी अन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्धन'' से संबंधित हो; (ड़) प्रदूषण नियंत्रण या बहिःस्राव शोधन संयंत्र, उनको छोड़कर जो कि कारखाने के एक हिस्से के रुप में अवस्थित हों, अथवा (च) संरचनाएं जो कि शमशान, कब्रगाह या शवदाह के लिए हो।	6	–
(v)	कार्य संविदा की संयुक्त आपूर्ति जो कि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित है और निम्नलिखित से सम्बंधित मूल कार्य के निर्माण, परिनिर्माण, चालू करना या स्थापना के माध्यम से प्रदान की गई हो;– (क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर; (ख) एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिसर के हिस्से से भिन्न हो; (ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई ''स्कीम आफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप'' के अंतर्गत अनुमोदित किया गया हो; (घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60 वर्गमीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिनका कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो– (1) सब के लिए (शहरी) आवास मिशन/ प्रधानमंत्री आवास योजना का "अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप" घटक, (2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना; (ड़) कृषि उत्पादों के लिए फसलोपरान्त भण्डारण अव–संरचना जिसमें ऐसे प्रयोजनों के लिए इस उद्देश्य से संबंधित कोल्ड स्टोरेज भी शामिल हैं; या (च) मैक्नाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि उन इकाइयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रुप में प्रसंस्करण होता है, अल्कोहलयुक्त पेय को छोड़कर।	6	–
(vi)	उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं।	9	-";

(ii) क्रम संख्या 8 के सामने, खाना (3) में, मद (vi) और उसके सामने खाना (3), (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(vi) मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन, जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में शामिल की जाती है	2.5	बशर्ते कि सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया व्याख्या संख्या (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	-";

(iii) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3) में, मद (iii) और उसके सामने खाना (3), (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण की सेवाएं। व्याख्याः "माल परिवहन अभिकरण" से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सडक से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया व्याख्या संख्या (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो वह तत्पश्चात् उस द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।";

(iv) क्रम सख्यां 10 के सामने, खाना (3) में, मद (i) और उसके सामने खाना (3), (4) और (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(i) मोटर कैब को किराए पर देना, जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभावित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया व्याख्या संख्या (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	–";

(v) क्रम संख्या 11 के सामने खाना (3) में, मद (i) और उसके सामने खाना (3), (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
"(i) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण की सेवाएं। व्याख्या– "माल परिवहन अभिकरण" से अभिप्राय है, ऐसा कोई व्यक्ति, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया व्याख्या संख्या (iv) का निर्देश करें)
		या
	6	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो वह तत्पश्चात् उस द्वारा माल परिवहन अभिकरण की आपूर्ति की जाने वाली सभी सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।";

(vi) क्रम संख्या 26 के सामने,–

(क) खाना (3) में, मद (i) में,–

(अ) उप–मद (ख), के स्थान पर, निम्नलिखित उप–मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 50 से 63 के अधीन आने वाले वस्त्र तथा वस्त्र उत्पाद;";

(आ) व्याख्या का लोप कर दिया जाए;

(ख) खाना (3) में, मद (ii) और उसके सामने खाना (3), (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
“(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित है – (क) समाचार पत्रों का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण।	2.5	–
(iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य द्वारा स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं।	9	–”;

(vii) क्रम संख्या 27 के सामने, खाना (3), (4) और (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

(3)	(4)	(5)
“(i) समाचार पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं) पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान की जाती है और जिसमें कागज़ सहित प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते है।	6	–
(ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं।	9	–”;

(viii) क्रम संख्या 34 के सामने, खाना (3) में, मद (i) में, “ड्रामा है” शब्दों के स्थान पर, “ड्रामा या प्लेनेटेरियम है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification
The 22nd August, 2017

No:74/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table,-

(i) against serial number 3, under columns (3), (4) and (5), for existing item (iii) and entries thereagainst; the following items and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, supplied to the Government, a local authority or a Governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,- (a) a historical monument, archaeological site or remains of national importance, archaeological excavation, or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958); (b) canal, dam or other irrigation works; (c) pipeline, conduit or plant for *(i)* water supply*(ii)* water treatment, or *(iii)* sewerage treatment or disposal.	6	-

(iv)	Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,- (a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general public; (b) a civil structure or any other original works pertaining to a scheme under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission or Rajiv AwaasYojana; (c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation” under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan MantriAwasYojana, only for existing slum dwellers; (d) a civil structure or any other original works pertaining to the “Beneficiary led individual house construction / enhancement” under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan MantriAwasYojana; (e) a pollution control or effluent treatment plant, except located as a part of a factory; or (f) a structure meant for funeral, burial or cremation of deceased.	6	-
(v)	Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to,- (a) railways, excluding monorail and metro; (b) a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex; (c) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by competent authority empowered under the 'Scheme of Affordable Housing in Partnership' framed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India; (d) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in a housing project approved by the competent authority under- (1) the “Affordable Housing in Partnership” component of the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan MantriAwasYojana; (2) any housing scheme of a State Government; (e) post-harvest storage infrastructure for agricultural produce including a cold storage for such purposes; or (f) mechanised food grain handling system, machinery or equipment for units processing agricultural produce as food stuff excluding alcoholic beverages.	6	-
(vi)	Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	9	-”;

(ii) against serial number 8, under columns (3), (4) and (5), for item (vi) and entries thereagainst; the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-”;

(iii) against serial number 9, under columns (3), (4) and (5), for item (iii) and entries thereagainst, the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). *Explanation*.- "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay state tax@6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay state tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.";

(iv) against serial number 10, under columns (3), (4) and (5), for item (i) and entries thereagainst; the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-";

(v) against serial number 11, under columns (3), (4) and (5), for item (i) and entries thereagainst; the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). *Explanation*.- "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	Provided that the goods transport agency opting to pay state tax @ 6% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay state tax @ 6% on all the services of GTA supplied by it.";

(vi) against serial number 26,-

(a) in column (3),in item (i),-

(A) for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"(b) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(B) the *Explanation* shall be omitted;

(b) under columns (3), (4) and (5), for item (ii) and entries thereagainst; the following item and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- (a) printing of newspapers; (b) printing of books (including Braille books), journals and periodicals.	2.5	-
(iii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) and (ii) above.	9	-";

(vii) against serial number 27, under columns (3), (4) and (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(i) Services by way of printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-
(ii) Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services, other than (i) above.	9	-";

(viii) against serial number 34, in column (3), in item (i), after the word "drama", the words "or planetarium" shall be inserted.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

55580—C.S.—H.G.P., Chd.